



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1941 (श10)

(सं0 पटना 769) पटना, बुधवार, 3 जुलाई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2019

एस० ओ० 320 दिनांक 3 जुलाई 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात “उक्त नियमावली” कहा गया है) के नियम 14 के अधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 80 के उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

3 उक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 80 के उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1910)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

3 जुलाई 2019

एस० ओ० 320, दिनांक 3 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1910)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 3rd July 2019

S.O. 320, Dated 3rd July 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons registered under section 24 of the said Act read with rule 14 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as “the said rules”), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in **FORM GSTR-9** under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules.

3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 1910)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 769-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>